संख्याः 553 /XIX/2004

प्रेषक,

डा0 आर0एस0टोलिया,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून ।

2. संभागीय खाद्य नियंत्रक,
गढवाल/कुमायूँ संभाग
उत्तरांचल।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 21 अगस्त, 2004

विषयः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न डिपों से खाद्यान्न/चीनी की प्राप्ति, वितरण गोदामों तक संचरण एवं वितरण– व्यवस्था के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायः यह देखा जाता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्रीय पूल अथवा स्टेट पूल के डिपों से जो खाद्यान्न विभाग द्वारा नियुक्त परिवहन ठेकेदारों के माध्यम से वितरण गोदामों को प्रेषित किया जाता है, वह या तो समय से प्रेषित ही नहीं किया जाता है और यदि समय से प्रेषित भी कर दिया जाता है तो सम्बन्धित ठेकेदार उसे गंतव्य स्थान तक पहुँचाने में काफी विलम्ब करते है, फलस्वरूप प्रेषणकर्ता गोदाम प्रभारी समयान्तर्गत यह सुनिश्चित नहीं कर पाते कि उनके द्वारा प्रेषित खाद्यान्न गन्तव्य केन्द्र को प्राप्त हो गया है। यही नहीं संबंधित ठेकेदार द्वारा कई–कई माहों तक खाद्यान्न परिवहन के बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाते। जिससे खाद्यान्न के दुर्विनियोग होने की संभावना के साथ–साथ जनवितरण प्रणाली भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। यह भी देखा गया है कि खाद्यान्न प्रेषणकर्ता गोदाम प्रभारी एवम् प्राप्तिकर्ता गोदाम प्रभारी प्रेषित/प्राप्ति मात्रा का समय से सत्यापन नहीं करते है और न ही जिला पूर्ति अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन कराया जाता है।

इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि खाद्यान्न की वितरण व्यवस्था के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु निम्नलिखित निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

1. शासन स्तर से मासिक आवंटन प्राप्त होते ही संभागीय खाद्य नियत्रंक/जिलापूर्ति अधिकारी बेस/ब्लाक/वितरण गोदामवार खाद्यान्न का ब्रेकअप जारी कर देगें।

2. विभाग द्वारा नियुक्त परिवहन ठेकेदार या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को ही प्रेषण हेतु ट्रकों में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि परिवहन ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी गयी ट्रकों में ही खाद्यान्न प्रेषित किया जाए।

3. खाद्यान्न प्रेषणकर्ता गोदाम प्रभारी प्रत्येक दशा में बिना किसी अनौचित्यपूर्ण विलम्ब के यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा प्रेषित खाद्यान्न गन्तव्य स्थान के खाद्यान्न गोदाम प्रभारी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रेषणकर्ता गोदाम प्रभारी को प्राप्ति कर्ता गोदाम प्रभारी खाद्यान्न मूवमेंट चालान की प्रति पर प्राप्ति स्वरुप रसीद अंकन कर समय से उपलब्ध करा दें। प्रेषनकर्ता एवम् प्राप्तिकर्ता गोदाम प्रभारी क्रास वेरिफिकेशन के द्वारा यह सुनिश्चित कर लें, कि परिवहन

ठेकेदार के माध्यम से प्रेषित किया गया खाद्यान्न/चीनी प्राप्त हो गयी है। किसी भी अनियमितता की दशा में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विभागीय परिवहन ठेकेदार पाक्षिक रूप से परिवहन कराये गये खाद्यान्न/चीनी का बिल प्रस्तुत कर दें । ताकि यदि कोई अनियमितता हुई हो तो वह समय से प्रकाश में आ जाए एवम् उस पर त्वरित कार्यवाही की जा सकें । यदि बिल कालातीत होते हैं तो ऐसी दशा में पर्यवेक्षीय अधिकारी भी दोषी समझे जायेंगे और उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी ।

5. खाद्यान्न/चीनी के परिवहन ठेकेदार कई माह के बिलों को एक साथ न भेजते हुए प्रतिमाह भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि बिलों का नियमित भुगतान हो सके तथा खाद्यान्न के संचरण का सत्यापन हो सकें ।

6. जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा माह में कम से कम एक बार अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले गोदामों का निरीक्षण किया जायेगा।

7. खाद्यान्न के दुर्विनियोग हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्रिमनल कार्यवाही की जायेगी । राज्य बनने के उपरान्त ऐसे कितने मामलों पर क्रिमनल एण्ड सिविल प्रोसिडिंग की कार्यवाही की गयी, की सूचना भी शासन को माहवार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें ।

8. यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उपरोक्तानुसार पर्यवेक्षण कार्य में शिथिलता एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता किये जाने पर सरकारी परिवहन खाद्यान्न ठेकेदार के साथ-साथ जिलापूर्ति अधिकारी/वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक/पूर्ति निरीक्षक/सहायक खाद्यान्न निरीक्षक उत्तरदायी होगें । खाद्यान्न के संचरण में किसी प्रकार का अवरोध होने अथवा किसी भी स्तर पर खाद्यान्न का दुर्विनियोग होने की दशा में खाद्यान्न परिवहन ठेकेदार तथा गोदाम के प्रभारी के साथ ही संबंधित संभाग/जनपद के संभागीय खाद्य नियंत्रक/जिला पूर्ति अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं खाद्यान्न निरीक्षक/वरिष्ठ विपणन निरीक्षक उत्तरदायी समझे जायेंगे और उनके विरूद्ध भी पर्यवेक्षीय शिथिलता के संबंध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाएगा ।

9. कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

भवदीय,

(डा0 आर0एस0टोलिया)
मुख्य सचिव ।

संख्याः 553 (1)/XIX/2004, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मण्डल आयुक्त, कुमांऊ मण्डल हल्द्वानी/पौढ़ी मण्डल गढ़वाल ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तरांचल ।
4. विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल ।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल ।
6. निजी सचिव मा0 मंत्री जी खाद्य, उत्तरांचल ।
7. समन्वयक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून ।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव ।